GK & Science One Liners' PDF

Making of the Constitution of India

भारतीय संविधान की रचना

• भारत में एक संविधान होने का विचार वर्ष 1934 में भारत में साम्यवादी आंदोलन के नेता श्री **एम.एन. रॉय** ने दिया था।

• वर्ष 1935 में **भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस** ने पहली बार भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा की मांग की।

• वर्ष 1938 में कांग्रेस की ओर से **जवाहरलाल नेहरू** ने कहा कि भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के स्वतंत्र संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा।

• इस मांग को वर्ष 1940 में ब्रिटिश संसद ने स्वीकार कर लिया जिसे अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना गया।

• वर्ष 1942 में, सर स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स की निगरानी में **क्रिप्स इंडिया मिशन** भारत आया और कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा की स्थापना की जाएगी।

• अंततः मई 1946 में, क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर की निगरानी में **कैबिनेट मिशन प्लान** भारत आया और उन्होंने भारत की संविधान सभा की स्थापना की।

• भारत की संविधान सभा में **389 सदस्य** थे, जिनमें से 292 सदस्य विभिन्न प्रांतों से निर्वाचित किए गए थे, 93 सदस्यों को रियासतों से नामित किया गया था और चार सदस्य प्रशासनिक क्षेत्रों दिल्ली, अजमेर- मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान से थे।

• संविधान सभा में **महात्मा गांधी** और **एम.ए. जिन्ना** को छोड़कर भारत की सभी प्रमुख हस्तियां शामिल थीं।

• पाकिस्तान के लिए नई संविधान सभा के निर्माण के बाद भारत की संविधान सभा से 90 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया, जिससे संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 से घटकर 299 सदस्य हो गई।

• संविधान सभा की पहली बैठक **डॉ. सचिदानंद सिन्हा** की अध्यक्षता में 9 दिसंबर, 1946 को हुई थी।

• वह केवल अस्थायी अध्यक्ष थे और उनकी जगह **डॉ. राजेंद्र प्रसाद और एच.सी. मुखर्जी** ने 11 दिसंबर, 1946 को क्रमशः संविधान सभा के स्थाई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में ले ली।

• श्री **बी.एन. राव** को संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया था।

• संविधान सभा ने 04 नवंबर, 1948, 15 नवंबर, 1948 और 14 नवंबर, 1949 को संविधान के तीन प्रारूप प्रस्तुत किए।

• अनेक परिवर्तन के बाद भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर, 1949 को संविधान को स्वीकार कर लिया।

• संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी, 1950 को हुआ जिसमें डॉ. राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया।

• भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ, जिसे भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।

• संविधान सभा को संविधान निर्माण में 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन लगे और संविधान निर्माण की लागत लगभग 64 लाख रुपये थी।

• भारत का संविधान दुनिया के इतिहास में सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां हैं।

• आज भारतीय संविधान में 25 भाग, 12 अनुसूचियां, 5 परिशिष्ट और 122 संशोधनों के तहत 464 अनुच्छेद हैं।

• भारतीय संविधान की प्रकृति अर्ध-संघीय (Quasifederal) है अर्थात अधिक संघीय और कम एकात्मक, सामान्य परिस्थितियों में यह संघीय है लेकिन अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दौरान संविधान की प्रकृति एकात्मक हो जाती है।

• डॉ. बी.आर. अम्बेड़कर ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई और संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इसीलिए उन्हें भारतीय संविधान का जनक या **"मॉडर्न मनु"** के रूप में भी जाना जाता है।

• प्रारूप समिति, प्रक्रिया नियमन समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉ. बी.आर. अंबेड़कर थे।

• 26 नवंबर, 1949 को संविधान को स्वीकृत किया गया।

• 24 जनवरी, 1950 को राष्ट्र गीत को स्वीकार किया गया।

• **24 जनवरी, 1950 को राष्ट्रगान स्वीकार किया गया।**
• **राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई, 1947 को स्वीकार किया गया।**
• आंध्र प्रदेश के **पिंगली वेंकैया** ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था।
• हाथी भारत की संविधान सभा का प्रतीक था।
• भारत के मूल संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा ने सुंदर लेख में इटैलिक शैली में लिखा था। प्रत्येक पृष्ठ सुंदर था और **शान्तिनिकेतन** के कलाकारों द्वारा सजाया गया था।
• **वसंत कृष्ण वैद्य** संविधान के हिंदी सुलेखक थे।
• **भारत सरकार अधिनियम, 1935** ने भारत के संविधान का आधार या 'ब्लू प्रिंट' तैयार किया।
• भारतीय संविधान की मूल प्रतियां, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखी गई हैं, भारतीय संसद के पुस्तकालय में विशेष हीलियम से भरे केसों में रखी गई हैं।
• भारतीय संविधान दुनिया भर के विभिन्न देशों फ्रांस, यूएसएसआर, जर्मनी, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अन्य देशों के संविधान से लिया गया है। इस कारण से, हमारे संविधान को प्रायः उधार का संविधान (bag of borrowings) के नाम से जाना जाता है।

भारतीय संविधान की अभिगृहीत विशेषताएं

1. यू.के.
• सांकेतिक अध्यक्ष - राष्ट्रपति (महारानी की तरह)
• प्रधानमंत्री का पद
• सरकार का संसदीय प्रकार
• द्विसदनीय संसद
• निम्न सदन अधिक सशक्त
• एकल नागरिकता
• लोकसभा में अध्यक्ष
• मंत्रियों की कैबिनेट व्यवस्था

2. यू.एस.ए.
• लिखित संविधान
• उप-राष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन अध्यक्ष
• मौलिक अधिकार
• सर्वोच्च न्यायालय
• राज्यों का प्रावधान
• न्यायपालिका और न्यायिक समीक्षा की स्वतंत्रता
• प्रस्तावना
• उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना

3. यूएसएसआर
• मौलिक कर्तव्य
• पंचवर्षीय योजना

4. ऑस्ट्रेलिया

- समवर्ती सूची
- प्रस्तावना की भाषा
- व्यापार, वाणिज्य और परस्पर व्यवहार के विषय में प्रावधान

5. जापान

- कानून, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय कार्य करता है

6. जर्मनी

- आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का स्थगन

7. कनाडा

- एक मजबूत केंद्र के साथ संघ की योजना
- केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। केंद्र के पास अवशिष्ट अधिकार

8. आयरलैंड

- राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा (आयरलैंड ने इसे स्पेन से लिया था)
- राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन

gradeup

Gradeup Green Card

Features:

- 350+ Full-Length Mocks
- 30+SSC & Railways Exams Covered
- Tests Available in English & Hindi
- Performance Analysis & All India Rank
- Previous Year Question Papers in Mock Format
- Available on Mobile & Desktop

GET IT ON Google Play

www.gradeup.co